

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी, 2013

अधिसूचना

स.का.मि.(स्था.) - अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के खंड 3 उप खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के बाद, एतद्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली, 2007 में पुनः संशोधन करने हेतु नीचे दिए गए नियम बनाती है, नामतः:-

1. (1) इस नियमावली को अखिल भारतीय सेवाएं (कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) संशोधन नियमावली, 2013 कहा जाएगा।
(2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. अखिल भारतीय सेवाएं (कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली, 2007 में, अनुसूची III में, प्रपत्र IV के स्थान पर, निम्नलिखित प्रपत्र को रखा जाए, नामतः:-

“प्रपत्र IV
(नियम 3 देखें)

अखिल भारतीय सेवाएं (कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली, 2007

स्वास्थ्य परीक्षण प्रपत्र

दिनांक :

नाम

आयु

लिंग : पुरुष/स्त्री

क. जांच रिपोर्टें

1.	हीमोग्राम
	(i) हीमोग्लोबिन
	(ii) टीएलसी

	<p>(iii) डीएलसी</p> <p>(क) पॉलीमोर्फस (ख) लिम्फोसाइट्स (ग) इयोसिनोफिल्स (घ) बैसोफिल्स (ङ) मोनोसाइट्स</p> <p>(iv) पेरिफिरील स्मीअर</p>
2.	<p>मूत्र परीक्षण</p> <p>(i) रंग (ii) ऐल्बुमिन (iii) शुगर (iv) माइक्रोस्कोपिक परीक्षण</p>
3.	<p>ब्लड शुगर</p> <p>(i) खाली पेट (ii) भोजन के बाद</p>
4.	<p>लिपिड प्रोफाइल</p> <p>(i) टोटल कोलेस्ट्रॉल (ii) एचडीएल कोलेस्ट्रॉल (iii) एलडीएल कोलेस्ट्रॉल (iv) वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल (v) ट्राइग्लिसराइड्स</p>
5.	<p>लीवर फंक्शन टेस्ट्स</p> <p>(i) एस. बिलीरुबीन (कुल) (ii) एस. बिलीरुबीन (डायरेक्ट) (iii) एस.जी.ओ.टी. (iv) एस.जी.पी.टी.</p>
6.	<p>किडनी फंक्शन टेस्ट्स</p> <p>(i) ब्लड यूरिया (ii) एस. क्रिएटिनिन (iii) एस. यूरिक एसिड</p>

7.	<p>कार्डीआक प्रोफाइल</p> <p>(i) एस.एलडीएच (ii) सीके-एमबी (iii) एस.सीआरपी (iv) एसजीओटी</p> <p>पुरुषों के लिए (v) पीएसए</p> <p>महिलाओं के लिए (vi) पीएपी स्मीअर</p>
8.	एक्स-रे - चेस्ट पी.ए. व्यू रिपोर्ट
9.	ई.सी.जी. रिपोर्ट
10.	यू.एस.जी. एब्डमन रिपोर्ट
11.	टी.एम.टी. रिपोर्ट
12.	मैमोग्राफी रिपोर्ट (महिलाएं)
13.	<p>स्त्रीरोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण</p> <p>(i) पेलविक परीक्षण (क) लोकल परीक्षण (ख) पर वैजिनम (पी/वी) (ग) पर स्पेकुलम</p> <p>(ii) शल्य परीक्षण (iii) स्तन परीक्षण</p>
14.	<p>(i) यूरोलॉजिकल परीक्षण (केवल पुरुषों के लिए) (ii) रेक्टल परीक्षण (केवल पुरुषों के लिए)</p>
15.	<p>सर्वांगीय परीक्षण</p> <p>(i) श्वसन तंत्र (ii) सी.वी.एस. (iii) एब्डमन (iv) सी.एन.एस. (v) लोकोमोटर तंत्र (vi) दंत परीक्षण</p>
16.	<p>आंखों का परीक्षण</p> <p>(i) डिस्टेन्ट विज़न</p>

	(ii) चश्मे के साथ दृष्टि (iii) रंग दृष्टि (कलर विज़न) (iv) टोनोमेट्री (v) फंडस परीक्षण
17.	आंख, नाक, गला (ई.एन.टी.) (i) ओरल कैविटी (ii) नाक (iii) गला (iv) कंठ

ख. अधिकारी की चिकित्सा रिपोर्ट

1.	अधिकारी का हीमोग्लोबिन स्तर	सामान्य/कम
2.	ब्लड शुगर स्तर	संतोषजनक/सामान्य/उच्च/कम
3.	अधिकारी का कोलेस्ट्रॉल स्तर	सामान्य/उच्च/कम
4.	लीवर कार्यकरण	संतोषजनक/सामान्य/सामान्य रूप से क्रियाशील नहीं
5.	किडनी स्टेटस	सामान्य/दोनों-एक किडनी पूर्णतः क्रियाशील नहीं
6.	हृदय का कार्यकरण	सामान्य/बड़े आकार का/अवरुद्ध/असामान्य

ग. चिकित्सा रिपोर्ट का सार (कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ केवल इसकी प्रति संलग्न की जाए)

1.	अधिकारी का संपूर्ण स्वास्थ्य	
2.	अधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर कोई अन्य टिप्पणी	
3.	स्वास्थ्य प्रोफाइल श्रेणीकरण	

दिनांक :

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम''

(फाइल सं. 11059/03/2012-ए.आई.एस.-III)

नवनीत मिश्रा
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी - मुख्य नियमावली दिनांक 14 मार्च, 2007 को सा.का.नि. सं. 197 (स्था.) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार दिनांक 16 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. 11059/18/2002-भाप्रसे-III के तहत संशोधित किया गया था।

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली

सं. 11059/03/2012-ए.आई.एस.-III

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2013

प्रतिलिपि:-

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
2. यू.टी.एस. डैस्क/आई.पी.एस.-II अनुभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. वन सेवा प्रभाग, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
4. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग